एन आर आई सेवाएं

निवासियों हेतु सुविधाएँ

1. स्व-घोषणा पत्र जिसमें लेन-देन का मूल विवरण शामिल हो , के आधार पर निम्नलिखित चालू खाता लेन-देन के प्रयोजन हेतु निवासियों को उल्लेखनीय राशि प्रेषित करने की अनुमति है -

प्रति कैलेंडर वर्ष में विदेश निजि यात्रा - 10000 यू एस डालर
विदेश में रोजगार - 100000 यू एस डालर
विदेश में आप्रवास हेतु - 100000 यू एस डालर
विदेश में नज़दीकी रिश्तेदार के निर्वाह हेतु- 100000 यू एस डालर
विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु - 100000 यू एस डालर
(प्रति शैक्षणिक वर्ष)
विदेश में चिकित्सा प्राप्त करने हेतु - 100000 यू एस डालर
विदेश में व्यापारिक यात्रा हेतु - 25000 यू एस डालर
उपहार व दान हेतु - 100000 यू एस डालर

नोट

निवासी भारतीय 2000 यू एस डालर तक विदेशी मुद्रा , नोट या ट्रैवलर्स चैक के रूप में अनिशचित अवधि के लिए रख सकते हैंआर इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं । विदेशी करेंसी 2000 यू एस डालर से अधिक राशि जिसे खर्च न किया गया हो, वापस आने की तारीख के 90 दिन के भीतर और यदि ट्रैवलर्स चैक हों तो 180 दिन के भीतर बैंक के सुपुर्द करनी होंगी ।

2. भारतीय बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को चालू अथवा पूँजी खाते अथवा दोनो को जोड़ करप्रति वित्तीय वर्ष के दौरान 100000 यू एस डालर तक राशि मुक्त रूप से करने की अनुमति है । निवासी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना भारत से बाहर अचल संपत्ति या शेयर अथवा किसी प्रकार की संपत्ति लेऔर रख सकता बै । इसी प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति बगैर भारत के बाहर स्थित बैंक में प्रेषण हेतु विदेशी मुद्रा खाता खोल और रख सकता है ।

   क. निवासी व्यक्ति को उपहार और दान हेतु राशि प्रेषित करने की अनुमति उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत कुल मिलाकर 100000 यू एस डालर की सीमा के अंतर्गत है ।

   ख. निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी कंपनियों में किए गए निवेश का उपज़ोड़ भी इसी 100000 यू एस डालरकी सीमा के अंतर्गत है । बाहरी देशों की कंपनियों द्वारा सूचीगत भारतीय कपनियों में पहले की भांति जो 10 प्रतिशत पारस्परिक शेयर रखने की आवश्यकता थी,उसे छोड़ दिया गया है ।

3. विदेशी कंपनियों से भारत में प्रतिनियुक्त किए गए भारतीय नागरिक को उसके विदेश रहने

वाले नज़दीकी रिश्तेदारों के पोषण हेतु शुद्ध वेतन प्रेषित करने की अनुमति है ।

4. निवासी व्यक्ति जो भारत के किसी कार्यालय या विदेशी कम्पनी (जिसमें विदेशी शेयर 51 प्रतिशत से कम न हों) का कर्मचारी या निदेशक है तो उसे ई एस ओ पी योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियां बिना किसी मौद्रिक सीमा के प्राप्त करने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना वह इन शेयरों को बेच सकता है बशर्ते कि इन शेयरों की प्राप्तियोंका भारत में प्रत्यावर्तन हो ।
5. भारत में निवास कर रहे व्यक्ति ने विदेशी विनिमय के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा या ट्रैवलर्स चैक के रूप में प्राप्त किए हो उनके साथ आर एफ सी (डोमेस्टिक) के नाम से जाने वाला खाता खोल या रख सकते है ।

क. विदेशी दौरे के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए जो भुगतान किया गया हो लेकिन भारत में किए गए व्यापार या कोई कार्य से संबद्ध न हो अथवा

ख. कोई व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और भारत के दौरे पर आया हो उसके द्वारा दिया गया मानदेय , उपहार या प्रदान की गई सेवाओं या किसी कानूनी दायित्व का निपटारा करने के एवज में प्राप्त विदेशी विनिमय

ग. विदेशी दौरे के दौरान प्राप्त मानदेय या उपहार अथवा

घ. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विदेश यात्रा हेतु प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा के न खर्च किए गए अंश के साथ यह खाता खोला जा सकता है ।

ऐसे खातों में विदेशी मुद्रा रखने की सीमा निर्धारित नहीं है । ऐसे खातों में पड़ी शेष राशि का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए कियाजा सकता है जिसके लिए भारत में बैंक से यह विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ सकती है लेकिन इन आर एफ सी (डी) खातों पर ब्याजनहीं दिया जाता ।

आर एफ सी (डी) खायों में पड़ी शेष राशि एन आर ई खाते में क्रेडिट की जा सकती है अगर आपकी रिहायशी स्थिति निवासी से अनिवासी में बदल जाती है ।

6.निवासियों द्वारा अनिवासियों की मेहमान निवाज़ी और उनकी हवाई यात्रा की टिकटें आवक प्रेषण के पहुँचने से पहले की जा सकती हैं ।

निवासी भारतीय किसी तीसरे देश के क्षेत्र के दौरे की उनकी टिकटें भारत में ही बुक करा सकता हैं। इसका आशय है किलिवासी व्यक्ति देशी अथवा विदेशी एयरलाइन्स द्वारा लंडन अथवा न्यूयार्क यात्रा के लिए उनकी टिकटें भारत मेंही खरीद सकता है।

1. एन आर आई का निवासी नजदीकी रिश्तेदार उसके द्वारा रूपयों में लिए गए हाउसिंग ऋण का भुगतान कर सकता है जिसे एन आर आई ने भारत में प्राधिकृत डीलर अथवा हाउसिंग वित्त संस्था से प्राप्त किया है ।

8 भारतीय कंपनियों के निवासी शेयरधारक जो ए डी आर अथवा जी डी आर द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत शेयरों को ए डी आर अथवा जी डी आर में परिवर्तित करने की पेशकश करते है

9 रायल्टी अथवा एकमुश्त शुल्क के भुगतान का प्रेषण करने की अनुमति है बशर्ते कि रायल्टी

स्थानीय बिक्री पर 5 प्रतिशत से अधिक न हो तथा एकमुश्त शुल्क का भुगतान 2 मिलीयन यू एस डालर से अधिक न हो ।

10. रेल अथवा सड़क अथवा जल परिवहन के खर्चों पर एजेंटों का शुद्ध अथवा बनता कमीशन भारत से बाहर पर्यटन चालकों (चूर आप्रेटरों) को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति बगैर भेजने की अनुमति है ।
11. विगयापकों को विदेशी टी वी चैनलों पर विगयापन देने हेतु प्रेषण की अनुमति है ।
12. भारत में रिहायशी फ्लैट अथवा कमर्शियल प्लाटों को बेचने के लिए विदेशों में एजेंटों को 25000 यू एस डालर तक कमीशन अथवा आवक प्रेषण की 5 प्रतिशत प्रति लेन-देन पर जो भी अधिक हो उसको प्रेषित किया जा सकता है ।
13. भारत से बाहर से ली गई परामर्शी सेवाओं के लिए एक मिलीयन यू एस डालर प्रति प्रोजेक्ट प्रेषण की स्वतंत्र रूप से मंजूरी है।
14. प्राधिकृत डीलर बैंक टी वी चैनल व इंटरनेट सेवाओं को संबंधित मंत्रालय की मंज़ूरी उपरांत ट्रास्पोंडर(प्रेषानुकर) हेतु प्रषित कर सकते हैं ।